



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
SA-06, Mandia Road Industrial Area, Pali

Phone/Fax no. 02932-231616

E-Mail ID : rorpcb.pali@gmail.com



No. RPCB/RO Pali/NGT/L-129/1700

Date: 22.07.2024

Registered

The Registrar,
Hon'ble NGT,
Central Zonal Bench,
Bhopal, Madhya Pradesh.

Sub:- Submission of Joint Report in matter of Original Application no. 49/2024 (CZ) Devidas Khatri Vs State of Rajasthan & Others.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 12.03.2024 and subsequent order dated 02.05.2024.

Sir,

With reference to above subject, it is submitted that in compliance of the Hon'ble Tribunal by order dated 12.03.2024 and the subsequent order dated 02.05.2024, the joint committee has inspected the alleged sites and has prepared the factual and action taken report which is being submitted to your good office for further necessary action.

Yours Sincerely,

(Rahul Sharma)

Regional Officer,

RSPCB, Pali

Nodal Officer, Joint Committee

RajKaj Ref
9129985



Signature valid

Digitally signed by Rahul Sharma
Designation: Senior Environmental
Engineer
Date: 2024.07.22 14:53:05 IST
Reason: Approved

Factual and Action taken report of the joint committee constituted by Hon'ble NGT, Central Zone Bench order dated 12.03.2024 in O. A. No. 49/2024 (cz) in the matter of Devidas Khatri Versus State of Rajasthan & Ors.

1. Background:

The Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench Bhopal vide its order dated 12.03.2024 in the matter of O.A. No. 49/2024 (cz), "Devidas Khatri Versus State of Rajasthan & Ors." directed as under (the copy of order dated 12.03.2024 is enclosed at **Annexure-01**):

"We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

- i. One Representative from the Secretary Environment, State of Rajasthan,*
- ii. One Representative from the Director of Mines Safety, Directorate General of Mines Safety (DGMS), Ajmer Region-2, Ajmer, Rajasthan,*
- iii. One Representative from the Central Pollution Control Board,*
- iv. One representative from the Rajasthan State Pollution Control Board.*

The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR. Support PDF and not in the form of Image PDF."

In compliance of the Hon'ble NGT dated 12.03.2024, Rajasthan State Pollution Control Board nominated Regional Officer RSPCB, Pali as a member of committee and also appointed Nodal Officer on behalf of RSPCB vide its letter dated 18.04.2024 (**Annexure-02**) in addition to this, the Special Secretary to Government, Department of Environment and Climate Change Rajasthan has also nominated Regional Officer, RSPCB, Pali vide letter dated 13.03.2024 (**Annexure-03**) to carry out inspection of the alleged site and submit the factual report to the Hon'ble NGT on their behalf; the District Collector Pali has nominated Director, Mines and Safety, Directorate General of Mines and Safety, Ajmer Region as representative of the District Collector, Pali as well as Mining Engineer, Sojat City, Pali was also appointed as a special invitee vide letter dated 28.03.2024 (**Annexure-04**) and Shri Praveen Jain, Scientist- 'B' CPCB, Bhopal has been nominated by the Regional Director, CPCB, Bhopal vide their letter dated 19.03.2024 (**Annexure-05**).

The joint committee inspected the site from 22.04.2024 to 23.04.2024.



2. Factual status of alleged mining activity at Village - Sakadara, Tehsil & District - Pali observed during joint visit:

Joint committee comprising of Director of Mines Safety, DGMS, Ajmer Region-2, Ajmer; Scientist- 'B' CPCB, Bhopal; Regional Officer (RSPCB), Pali along with team of Regional Laboratory, Sr. Mines Foreman, Department of Mines and Geology, Sojat, Pali visited the site from 22.04.2024 to 23.04.2024 (Photographs are annexed and marked as **Annexure-06**).

The joint committee visited total 32 mining leases out of which 18 were found in working condition and remaining 14 were found non-operative. Further out of the total 18 working mining leases 12 were found operational. During the course of inspection the observation made by the committee are as follows:-

1. M/s Panna Misri Granite, ML No. 33/2013 (3.0 Ha), the alleged accident occurred in ML No. 33/2013. In reference of the alleged accident, the action taken by the State Government are as follows:-
 - A) An FIR bearing no. 40/2024 dated 23.02.2024 has been registered against M/s Panna Misri Granite for the alleged incident occurred in mining lease no. 33/2013. The copy of FIR is attached as **Annexure-07**.
 - B) The family members of the deceased workers have been paid compensation by M/s Panna Misri Granite in the presence of District Administration, Pali and the matter has been settled. In this regard, the lease holder submitted the agreement between the lease holder and family members of the deceased workers. The copies of agreements are attached as **Annexure-08**.
 - C) The lease holder has ceased to reveal the amount of compensation paid to the deceased.
 - D) The mining lease at which the accident occurred is non-operational in compliance of the directions issued by the Department of Mines & Safety.



2. The Consent status of 32 mining leases:

a. Consent and Mining Lease Status of 18 mining leases found operational or in working condition-

S. No.	Name of Mining Lease	ML No.	Area (in Ha)	Permitted production capacity (TPA)	CTO Validity	Environment Clearance Status	Dimensions of Mining Pit (L×B×D) in metres	Mine lease validity	Status of Ravanna
1.	M/s Jay Shiv Stone	11/2013	3	223916	30-09-2026	Issued by SEIAA on 26-08-2021	150×75×15	27-05-2063	ON
2.	M/s Shri Thakur Granite Pvt. Ltd.	514/2012	3	15666	31-05-2023	Issued by SEIAA on 27-02-2015	40×30×15	17-05-2065	ON
3.	M/s Jai Vijay Mines & Minerals	519/2012	3	54600	29-02-2024	Issued by SEIAA on 19-05-2014	70×50×Filled with Water	21-01-2063	ON
4.	M/s Panna Misri Granite	33/2013	3	68600	31-05-2027	Issued by SEIAA on 30-04-2014	85×70×40	17-10-2063	OFF
5.	M/s Shri Shiv Mines and Minerals	47/2011	3	112448	30-11-2023	Issued by DEIAA on 30-11-2018	50×40×15	02-02-2062	ON
6.	M/s Avinash Granites Pvt. Ltd.	501/2012	3	54600	29-02-2028	Issued by SEIAA on 29-03-2016	45×25×08	08-05-2063	ON
7.	M/s Tirupati Granite & Minerals	524/2012	3	44800	30-06-2026	Issued by SEIAA on 30-04-2014	60×40×25	23-04-2063	ON
8.	M/s Starstone Marble & Granites Pvt. Ltd.	503/2012	3	54600	28-02-2029	Issued by DEIAA on 27-07-2016	80×60×18-20	21-01-2063	ON
9.	M/s Arunodaya Mining & Granites	09/2013	3	20000	31-08-2027	Issued by DEIAA on 27-07-2016	50×40×14	01-09-2063	ON
10.	M/s Chima Stones	508/2012	3	47040	30-04-2029	Issued by SEIAA on 19-05-2014	75×50×30	23-04-2063	ON
11.	M/s Suresh Mining Stone	54/2011	3	101052	30-04-2028	Issued by DEIAA on 27-07-2018 and that by SEIAA on 30-04-2014	100×60×25	22-03-2062	ON

2

S. No.	Name of Mining Lease	ML No.	Area (in Ha)	Permitted production capacity (TPA)	CTO Validity	Environment Clearance Status	Dimensions of Mining Pit (L×B×D) in metres	Mine lease validity	Status of Ravanna
12.	M/s Shree Shyam Mines and Minerals	521/2012	3	179000	30-04-2027	Issued by DEIAA on 27-07-2016	55×30×15	25-04-2063	ON
13.	M/s Ramdev Stone & Granite	55/2011	3	218547.5	28-02-2027	Issued by SEIAA on 20-09-2023	70×100×40	01-03-2062	ON
14.	M/s Apex Minerals & Granite	13/2013	3	60000	30-11-2027	Issued by SEIAA on 19-05-2014	50×40×25	06-11-2064	ON
15.	M/s Shri Varinga Ram Bishnoi	48/2013	3	14014	30-06-2028	Issued by SEIAA on 27-02-2015	60×50×10	13-05-2065	ON
16.	M/s Shree Maa Naganechiya Granties	44/2013	3	58800	31-08-2027	Issued by SEIAA on 30-04-2014	120×60×30	01-09-2064	ON
17.	M/s Krishna Granite & Minerals	12/2013	2.4901	50680	31-07-2027	Issued by SEIAA on 19-05-2016	70×40×25	30-07-2067	ON
18.	M/s Shree Jogmaya Granites	500/2012	1.1529	94046	30-11-2027	Issued by SEIAA on 16-05-2016	70×45×15	10-12-2067	ON

b. Consent and mining lease status of 14 mining leases found non-operative or not in working condition-

S. No.	Name of Mining Lease	ML No.	Area (in Ha)	Permitted production capacity (TPA)	CTO Validity	Environment Clearance Status	Dimensions of Mining Pit (L×B×D) in metres	Mine lease validity	Status of Ravanna
1.	M/s Jalu Ram Siyag	04/2013	3	20000	31-08-2022	Issued by DEIAA on 27-07-2016	NO ACTIVE RUNNING PIT	09-04-2063	OFF
2.	M/s Shri Charbhuj Mines	504/2012	3	54600	30-06-2023	Issued by DEIAA on 27-07-2016	70×45×Filled with Water	21-01-2063	OFF
3.	M/s Shree Balaji Granites	489/2012	1	54600	31-05-2025	Issued by SEIAA on 19-	NO ACTIVE	21-01-2063	ON

2

S. No.	Name of Mining Lease	ML No.	Area (in Ha)	Permitted production capacity (TPA)	CTO Validity	Environment Clearance Status	Dimensions of Mining Pit (L×B×D) in metres	Mine lease validity	Status of Ravanna
						05-2014	RUNNING PIT		
4.	M/s Hari Kripa Granites Pvt. Ltd.	530/2012	3	64439	30-09-2023	Issued by SEIAA on 20-03-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	22-06-2065	OFF
5.	M/s Shri Bhagwati Granite Pvt. Ltd.	533/2012	3	64677	30-09-2023	Issued by SEIAA on 20-03-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	22-06-2065	OFF
6.	M/s Shree Bhagwati Granite Private. Ltd.	531/2012	3	68026	30-09-2023	Issued by SEIAA on 19-03-2015	20×15×08	22-06-2065	OFF
7.	M/s Tejomaya Natural Resources Pvt. Ltd.	28/2014	1.95	80000	30-06-2023	Issued by SEIAA on 19-05-2016	NO ACTIVE RUNNING PIT	16-01-2068	OFF
8.	M/s Hari Kripa Granites Pvt. Ltd.	532/2012	3	80106	31-10-2023	Issued by SEIAA on 31-03-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	22-06-2065	OFF
9.	M/s Bhagmal Marbal Pvt. Ltd.	17/2013	3	100617	31-05-2021	Issued by SEIAA on 20-02-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	16-04-2065	OFF
10.	M/s Uddhav Granites Pvt. Ltd.	16/2013	3	100617	30-09-2023	Issued by SEIAA on 30-04-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	22-06-2065	OFF
11.	M/s Tejomaya Nataural Resources Pvt. Ltd.	19/2014	3	178200	31-05-2023	Issued by SEIAA on 14-05-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	24-05-2065	OFF
12.	M/s Gauri Mahesh Natural Resources Pvt. Ltd.	18/2014	3	178900	31-05-2023	Issued by SEIAA on 14-05-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	24-05-2065	OFF
13.	M/s Gauri Mahesh Natural Resources Pvt. Ltd.	51/2011	3	179000	31-05-2023	Issued by SEIAA on 14-05-2015	NO ACTIVE RUNNING PIT	01-03-2062	OFF
14.	M/s Shree Ambey Mines	35/2013	3	Yet to commence	Not Applied	Issued by SEIAA on 30-04-2014	NO ACTIVE RUNNING PIT	21-02-2068	OFF

c. Site observations made by the committee during the visit


S. No.	Name of Mining Lease, ML No. & Area	Status of Operation	No. of trees found at mining lease (approx.)	Details of Air Pollution	Sampling Result	Other relevant information regarding the mine	Action Proposed /Taken
1	M/s Apex Minerals & Granite, 13/2013 (3.0 Ha)	Operational	50 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission.	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-92.0 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.06 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-3.86	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	Unit has been issued show cause notice under section 25/26 of Water Act 1974 and under section 21 of Air Act, 1981 for intended revocation of Consent to Operate.
2	M/s Chima Stones, 508/2012 (3.0 Ha)	Operational	150 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission.	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-88 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-1.88 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.84	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	--do--
3	M/s Ramdev Stone & Granite, 55/2011 (3.0 Ha)	Operational	200 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission.	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-92.0 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.94 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-3.83	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	--do--
4	M/s Shree Jogmaya Granites, 500/2012 (1.1529 Ha)	Operational	10 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission.	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-95 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-1.26 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-1.85	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The tree plantation in the unit was found insufficient. 3.) Display board comprising of appropriate details were not found at the unit premises.	--do--
5	M/s Shree Shyam Mines and Minerals, 521/2012 (3.0 Ha)	Operational	80 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission.	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-94 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-NT NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-3.24	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report.	--do--

S. No.	Name of Mining Lease, ML No. & Area	Status of Operation	No. of trees found at mining lease (approx.)	Details of Air Pollution	Sampling Result	Other relevant information regarding the mine	Action Proposed /Taken
	Ha)					2.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	
6	M/s Starstone Marble & Granites Pvt. Ltd., 503/2012 (3.0 Ha)	Operational	50 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission.	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-86 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.30 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.39	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	--do--
7	M/s Suresh Mining Stone, 54/2011 (3.0 Ha)	Operational	152 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission.	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-90 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.20 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-1.23	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	--do--
8	M/s Arunodaya Mining & Granites, 09/2013 (3.0 Ha)	Operational	50 trees	1.) Haul truck movement is the major source of dust emission. 2.) Water sprinkling on haul roads for dust suppression was not found	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-148 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-1.88 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-4.23	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The Particulate Matter (PM10) (size less than 10 microns) pollutant was found beyond the permissible limit as laid down in National Ambient Air Quality Standards. 3.) Water Sprinkling in the mining lease area was not found in the unit premises. 4.) The tree plantation in the unit was found insufficient. 5.) Display board comprising of appropriate details were not found at the unit premises.	--do--
9	M/s Avinash Granites Pvt. Ltd., 501/2012 (3.0 Ha)	Operational	20 trees	1.) Haul truck movement is the major source of dust emission. 2.) Water sprinkling on	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-138 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.24 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-4.86	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The Particulate Matter (PM10) (size less than	--do--

S. No.	Name of Mining Lease, ML No. & Area	Status of Operation	No. of trees found at mining lease (approx.)	Details of Air Pollution	Sampling Result	Other relevant information regarding the mine	Action Proposed /Taken
				haul roads for dust suppression was not found		10 microns) pollutant was found beyond the permissible limit as laid down in National Ambient Air Quality Standards. 3.) Water Sprinkling in the mining lease area was not found in the unit premises. 4.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	
10	M/s Jay Shiv Stone, 11/2013 (3.0 Ha)	Operational	75 trees	1.) Haul truck movement is the major source of dust emission. 2.) Water sprinkling on haul roads for dust suppression was not found	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-176 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-1.26 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.35	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The Particulate Matter (PM10) (size less than 10 microns) pollutant was found beyond the permissible limit as laid down in National Ambient Air Quality Standards. 3.) Water Sprinkling in the mining lease area was not found in the unit premises. 4.) The tree plantation in the unit was found insufficient. 5.) Display board comprising of appropriate details were not found at the unit premises.	--do--
11	M/s Krishna Granite & Minerals, 12/2013 (2.4901 Ha)	Operational	100 trees	1.) Haul truck movement is the major source of dust emission. 2.) Water sprinkling on haul roads for dust suppression was not found	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-148 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-1.27 NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.64	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The Particulate Matter (PM10) (size less than 10 microns) pollutant was found beyond the permissible limit as laid down in National Ambient Air Quality Standards. 3.) Water Sprinkling in the mining lease area was not found in the unit premises. 4.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	--do--

S. No.	Name of Mining Lease, ML No. & Area	Status of Operation	No. of trees found at mining lease (approx.)	Details of Air Pollution	Sampling Result	Other relevant information regarding the mine	Action Proposed /Taken
12	M/s Shree Maa Naganechiya Granties, 44/2013 (3.0 Ha)	Operational	128 trees	1.) Haul truck movement is the major source of dust emission. 2.) Water sprinkling on haul roads for dust suppression was not found	PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-145 SO2($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-NT NOx($\mu\text{g}/\text{m}^3$)-2.87	1.) Ambient Air quality monitoring and Noise monitoring was carried out by the Board officials and monitoring report is enclosed with this inspection report. 2.) The Particulate Matter (PM10) (size less than 10 microns) pollutant was found beyond the permissible limit as laid down in National Ambient Air Quality Standards. 3.) Water Sprinkling in the mining lease area was not found in the unit premises. 4.) The tree plantation in the unit was found insufficient.	--do--
13	M/s Jai Vijay Mines & Minerals, 519/2012 (3.0 Ha)	Non-operational	05 trees	No source of air pollution was found during the visit.	Sampling was not carried out as unit was non-operational.	1.) The unit representative informed that the mining activity was shut down since 2022. 2.) Unit representative was directed to increase plantation before the commencement of mining activity. 3.) Display board comprising of appropriate details were not found at the unit premises.	Unit has been issued a letter with directions to install and make necessary arrangements before the commencement of Mining Activity.
14	M/s Panna Misri Granite, 33/2013 (3.0 Ha)	Non-operational	150 trees	1. Haul truck movement is the major source of dust emission however during site visit unit was non-operational and no truck movement was found. 2. D.G. Set- 01 No. of capacity 125 KVA with acoustic enclosure and inadequate stake height was found installed in unit premises.	Sampling was not carried out as unit was non-operational.	This unit was the place where the incident of death of 3 workers took place. The tree plantation in the unit was found insufficient. The D.G set (125 KVA) without prior Consent to Establish and Operate from the State Board.	--do--

S. No.	Name of Mining Lease, ML No. & Area	Status of Operation	No. of trees found at mining lease (approx.)	Details of Air Pollution	Sampling Result	Other relevant information regarding the mine	Action Proposed /Taken
15	M/s Shri Shiv Mines and Minerals, 47/2011 (3.0 Ha)	Non-operational	02 trees	No source of air pollution was found during the visit.	Sampling was not carried out as unit was non-operational.	1.) The unit representative informed that the mining activity was shut down since year 2022. 2.) Unit representative was directed to increase plantation before the commencement of mining activity.	--do--
16	M/s Shri Thakur Granite Pvt. Ltd., 514/2012 (3.0 Ha)	Non-operational	05 trees	No source of air pollution was found during the visit.	Sampling was not carried out as unit was non-operational.	1.) The unit representative informed that the mining activity was closed one year back. 2.) Unit representative was directed to increase plantation before the commencement of mining activity.	--do--
17	M/s Shri Varinga Ram Bishnoi, 48/2013 (3.0 Ha)	Non-operational	150 trees	Haul truck movement is the major source of dust emission however during site visit unit was non-operational and no truck movement was found.	Sampling was not carried out as unit was non-operational.	The unit was found non-operational during the visit due to shortage of labour as reported by the unit representative. The units tree plantation was found insufficient.	--do--
18	M/s Tirupati Granite & Minerals, 524/2012 (3.0 Ha)	Non-operational	20 trees	No source of air pollution was found during the visit.	Sampling was not carried out as unit was non-operational.	1.) The unit representative informed that the mining activity was not being carried out due to shortage of labour since Holi festival in March 2024. 2.) Unit representative was directed to increase plantation before the commencement of mining activity.	--do--



3. General Observations made during the visit-

- a) Approach Road to the mines for the transportation of mineral was hard surfaced with *Murram*. Photo of approach is annexed and marked as **Annexure-09**.
- b) No illegal mining was observed during visit.
- c) No blasting activity was observed. The mining of granite blocks is being done with the help of wet drilling and block cutting is being done by wire saw with water.
- d) Mining is being done in pits and no ground water table was found intersected.
- e) Plantation provided in the mining lease are collectively annexed and marked as **Annexure-10**.
- f) Air monitoring of mines was also conducted by the Regional Laboratory of the State Board during the visit. Results of 05 mining units were found to exceed the prescribed limit therefore show cause notices were issued to these units. Analysis Reports of Air Monitoring are annexed herewith and marked as **Annexure-11**.

4. Specific observations cum actions regarding safety measures taken on the mining units are as under:

1. A notice of opening of the mines mentioned in the instant Application except Granite Mine (ML No. 33/2013) of M/s Panna Misri Granite (Respondent No. 11) was not submitted to this Directorate in Form-I of the first schedule by the owner, agent or manager of the said mines as required under Regulation 3 of The Metalliferous Mines Regulations, 1961 read with section 16 of the Mines Act, 1952. Hence, the operation of said mines was not in the knowledge of this Directorate and were not inspected by an officer of this Directorate. Notice of opening of Granite Mine (ML No. 33/2013) of M/s Panna Misri Granite was submitted after occurrence of the accident that occurred on 21.02.2024.
2. As per available records at this office, it is stated that-
 - (a) no permission for deploying Heavy Earth Moving Machinery with or without deep hole drilling and blasting has been granted to the mines mentioned in the instant Application by this Directorate as required under Regulation 106(2)(b) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, and
 - (b) a duly qualified manager was also not appointed at the mines mentioned in the instant Application for management, control, direction and supervision of mining activities as required under Regulation 34 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 read with section 17 of the Mines Act, 1952.
3. A notice of opening of the Granite Mine (ML No. 33/2013) of M/s Panna Misri Granite was not submitted to this Directorate in Form-I of the first schedule by the owner, agent or manager as required under Regulation 3 of The Metalliferous Mines Regulations, 1961 read with section 16 of the Mines Act, 1952 before the occurrence of the said accident. Therefore, the operation of Granite Mine (ML No. 33/2013) was not in the knowledge of this Directorate.
4. First information of accident was received over phone to this Directorate at about 1 PM on 21.02.2024 through Shri Dheeraj Panwar, Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Sojat City, Pali, that a fatal accident occurred at about 10 AM on 21.02.2024 in a Granite Mine (ML No. 33/2013) falling in Sakadara village, Tahsil & District Pali, Rajasthan State and belonging to M/s Panna Misri Granite. On getting information, an



officer of this Directorate reached the site of accident at about 7.00 PM on 21.02.2024. It was learnt that three workers were killed and one worker was seriously injured.

5. After inspection and enquiry into the fatal accident occurred at the Granite Mine (ML No. 33/2013) of M/s Panna Misri Granite on 21.02.2024 and 22.02.2024, an order under section 22(3) of the Mines Act, 1952 was imposed vide this Directorate's letter no. AJR/DMS/22(3)/2024/286 dated 27.02.2024 prohibiting deployment of work persons for extraction of Mineral in the mine till the order is vacated except rectification work as per terms of the said order. Detailed enquiry of the said accident is under progress. The copy of order by the Directorate vide letter dated 27.02.2024 prohibiting deployment of work persons is annexed as Annexure-12.
6. The sides in the Granite Mine (ML No. 33/2013) of M/s Panna Misri Granite were not kept adequately benched, sloped or secured so as to prevent danger from fall of sides as required under Regulation 106 (3) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961. Loose stones, boulders and debris were not allowed to remain within a distance of three meters from the edge of the excavation as required under Regulation 106 (4) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961. The operations carried on in connection with the Granite Mine (ML No. 33/2013) of M/s Panna Misri Granite were not being conducted in accordance with the provisions of the Mines Act, 1952, and of the Regulations, and Rules made there-under. Statutory personnel like Mine Foremen/ Mining mates were not appointed for adequate inspection and thorough supervision at the said mine as required under Regulations 37 & 39 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 read with Regulation 116 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961. An engineer was not appointed at the said mine to hold the general charge of the machinery at the mine and to be responsible for its installation, maintenance and safe working as required under Regulation 36 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961. Blasting was not being carried out at the mine as stated by the mine owner.
7. The dynamics of issuance of Consent to Operate, granting of mining lease, obtaining mining plan, issue of explosive license, violation of environment norms/laws, environment compensation and illegal mining do not fall under the purview of the Mines Act, 1952.
8. The onus to ensure safety, health and welfare of workers employed in mines rests with the mine owner and agent(person, whether appointed as such or not, who acts or purports to act on behalf of the owner) of the mine, which is clearly laid down in Section 18(1) and 18(4) of the Mines Act, 1952, which quote that:

"18(1) The owner and agent of every mine shall each be responsible for making financial and other provisions and for taking such other steps as may be necessary for compliance with the provisions of this Act, and the Regulations, Rules, bye-laws and orders made there-under."

"18(4) The owner, agent and manager of every mine shall each be responsible to see that all operations carried on in connection with the mine are conducted in accordance with the provisions of this Act, and of the Regulations, Rules, bye-laws and orders made there-under."
9. Eighteen mines were found in working condition. Out of 18 operative mines, an order under section 22(3) of the Mines Act, 1952 was already imposed at Granite Mine (ML No. 33/2013) of M/s Panna Misri Granite as mentioned above. It was learnt that at present, blasting was not being carried out at the said mines. During inspection of remaining 23 mines, certain contraventions under the provisions of the Mines Act, 1952 and regulations



and rules made thereunder were observed. Mine owners were addressed to rectify the said contraventions. The details of action taken at the said 32 granite mines mentioned in the instant application are annexed as **Annexure-13**.

10. The committee has also directed the mines owner to comply with the State Board's and Mines department's conditions and submit regular compliance to Mines & Safety department, so as to prevent any accident in future.


5. Action taken/ further actions-

- a) Show cause notices for intended revocation of Consent to Operate under section 21 of Air Act, 1981 and under section 25/26 of Water Act, 1974 have been issued on 17.05.2024 to the aforementioned mining leases for non-compliances observed during the visit. Mining Lease holders had submitted the reply of these notices. Copy of show cause notices are annexed and collectively marked as **Annexure-14**. The mining lease holders were directed to follow the safety norms during the mining activity and make necessary arrangements to avoid all hazards and other safety related issues.

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.



(Satyanarayana Inumula)
Director of Mines Safety,
DGMS, Ajmer Region-2,
Ajmer



(Praveen Kumar Jain)
Scientist- 'B', RD, CPCB,
Bhopal



(Rahul Sharma)
Regional Officer
RSPCB, Pali and
Nodal Officer

14. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ न्यायालय के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
15. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक का दायित्व विभाग के विरूद्ध पारित निर्णय के सन्दर्भ में आगामी अपीलिय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी/समन्वयक की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक निरन्तर रहेगा।
16. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक वादकरण प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबसाइट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/Updation Center को समय समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
17. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी//समन्वयक को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर न्यायालय में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी//समन्वयक को उपलब्ध करवाया जावेगा और इस आशय को प्रस्तुत करेगा अन्यथा स्थिति में अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (L.P.C) जारी नहीं होगा।
18. यदि प्रभारी अधिकारी/समन्वयक उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो स्वयं को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

Member Secretary
(Vijai N.)

क्रमांक: प- F.10(566)RPCB/Legal/NGT/2024

दिनांक: 18-04-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali, appointed as OIC on behalf of RSPCB (res no-03) with the direction to prepare the parawise factual report, contact the counsel of the State Board and get the draft reply so that same may be filed with approval of competent authority before Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal.
2. Shri Vaibhav Thakuria, Advocate, 203, A-7, Royal Abode, Vijaypath, Tilak Nagar, Mobile No. 7017975501 with the request to, act and plead before the Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal on behalf of RSPCB. You will be paid fee as per RSPCB office order dated 05.03.2020.

Member Secretary

RajKaj Ref
6688285

Signature Not Verified

Digitally signed by N. Vijai
Designation : Member Secretary
Date: 2024.04.18 18:14:36 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमांक: प.12(21)/पर्या./2024-00693

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में दायर ओ. ए. संख्या 49/2024(CZ), देवीदास खत्री बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 की पालना में गठित संयुक्त समिति में सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने एवं मौका मुआयना कर तथ्यात्मक एवं क्रियान्विति रिपोर्ट बनाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पाली को एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मोनाली सेन)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर।
2. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
4. महानिदेशक (खान एवं सुरक्षा), खान एवं सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पाली।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

Signature Not Verified

RajKaj Ref
6094754



Digitally signed by Monali Sen
Designation : Special Secretary To
Government
Date: 2024.03.13 12:57:32 IST
Reason: Approved

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, पाली

क्रमांक: एफ.16(5)(2)()विधि / 2024 / 1382

दिनांक: 28 मार्च, 2024

नेमित:-

निदेशक खान एवं सुरक्षा,
निदेशालय खान एवं सामान्य सुरक्षा,
अजमेर रीजन, आना सागर लिंक रोड़,
अजमेर (राज.)


05/04/24

विषय : माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2024 देवीदास खत्री बनाम राज.राज्य व अन्य के संबंध में।

संदर्भ : श्री अनूप अग्रवाल अधिवक्ता राज.उच्च न्यायालय जयपुर का ई-मेल दिनांक 18.3.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री अनूप अग्रवाल अधिवक्ता राज.उच्च न्यायालय जयपुर ने संदर्भित ई-मेल द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल में दायर प्रकरण संख्या 49/2024 देवीदास खत्री बनाम राज.राज्य व अन्य के नोटिस व ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 12.3.2024 की प्रति भिजवाई है। प्रकरण में आपके विभाग के साथ जिला कलेक्टर महोदय पाली, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पाली, खान विभाग व निजी माईन्स एवं ग्रेनाईट ईकाईयो को पक्षकार बनाया गया है।

अतः माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल में विचाराधीन विषयक प्रकरण में अपने विभाग के साथ जिला कलेक्टर महोदय पाली की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिरक्षण की कार्यवाही करें एवं पालना व प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराये।



(डॉ. राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,
पाली

दिनांक: 28 मार्च, 2024

क्रमांक/सम/1383 - 1384

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पाली 2. खनि अभियन्ता खान विभाग सोजत सिटी को भेजकर लेख है कि प्रकरण में अपने विभाग के साथ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जिला कलेक्टर महोदय की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिरक्षण की कार्यवाही करें।



अति.जिला कलेक्टर,
पाली



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



CM- 13012/15/2024-LAW-RD-BHOPAL/ 2381

दिनांक: 19 मार्च, 2024

प्रति,

Most urgent
NGT Case

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ए-4, इंस्टीट्यूशनल एरिया
झालाना डूंगरी
जयपुर - 302004

विषय: NGT OA No. 49/2024(CZ) "Devidas Khatri Vs. State of Rajasthan & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत ।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 12/03/2024


महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 12/03/2024 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें सचिव-पर्यावरण, राजस्थान राज्य, निदेशक खनन एवं सुरक्षा, महानिदेशालय खनन सुरक्षा, अजमेर, राजस्थान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

आदेश के अनुसार उक्त समिति द्वारा Factual & Action Taken Report तैयार करके छः सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रकरण में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी है। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 02/05/2024 को नियत की गई है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री प्रवीण जैन, वैज्ञानिक 'ख' (मोबाइल नं.- 7746826294, ईमेल- praveen.cpcb@nic.in) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि नियत तिथि के पूर्व Factual & Action Taken Report माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,


(पी. जगन)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

- डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली - की ओर कृपया सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.बो., जयपुर - की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- श्री प्रवीण जैन, वैज्ञानिक 'ख' के.प्र.नि.बो., भोपाल - की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384

ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार

Item No. 01

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No. 49 /2024(CZ)

Devidas Khatri

Applicant(s)

Vs

State of Rajasthan & Ors

Respondent(s)

Date of Hearing: **12.03.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Ms. Diksha Chaturvedi, Adv.

For Respondent(s):

ORDER

1. on 22.02.2024 a newspaper article was published in daily newspaper Dainik Bhaskar with respect to death of 03 workers and 03 suffered injuries, while working in mining lease of respondent no. 11 i.e. Mis Panna Misri Granite (ML No. 33/2013) at village Samkadara, District Plai, Rajasthan. The newspaper article clearly reveals that the incident took place as a result of ongoing mining operation, however, safety of the workers during such operation was completely ignored. The photographs shown in the newspaper article clearly reveals that the mining operation was being undertaken in a complete unscientific manner.
2. The contention of the applicant is that due to indiscriminate drilling and blasting in order to extract stone and boulder as much as possible at a time, led to excessive vibration to the quarry and its surrounding making the stability of quarry stone more vulnerable to collapse day by day. Further, extraction of stone has not been done step by step, the overburden can be seen within the mining lease which leaves a limited

space for the workers. That the accident occurred on the mining lease of the respondent no. 11 where 03 individuals within the age group of 19 to 22 years of age have lost their life while earning their livelihood and 03 others have suffered injuries. It is undisputed that the accident occurred due to negligence of the respondent no. 11 as required safety measures were taken care of while operating the mining lease. The project proponent must appoint Mines Manager and technically qualified people to supervise the labourers, for operating the mines

3. It is further contended that the mines of the respondents are in operation in violation of environmental rules and no proper safety guidelines has been taken by the respondents. The requisite permission and the blasting guidelines issued by the Department of Mines and Safety regarding blasting and use of explosive by the project proponent has not been obtained and further that the necessary license from PESO is wanting.
4. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
5. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
6. Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.
7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:
 - (i) One Representative from the Secretary Environment, State of Rajasthan
 - (ii) One Representative from the Director Mines & Safety, Directorate General Mines Safety, Ajmer Region, Ajmer, Rajasthan
 - (iii) One Representative from the Central Pollution Control Board,
 - (iv) One representative from the Rajasthan State Pollution Control Board.


8. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
9. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.
10. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **2nd May, 2024.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A Senthil Vel, EM

12th March, 2024
O.A. No. 49/2024(CZ)
K



22 April 2024 at 1:21 PM
+25.568874,+73.059669 ±5.10m
61° NE
RJ,Pali,Pali
Altitude:203.9meter
Speed:0.8km/h
Index number:3206

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): पाली P.S. (थाना): गुडा एन्दला Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0040 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 23/02/2024 00:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	भा दं सं 1860	336
3	भा दं सं 1860	338

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 21/02/2024 Date To (दिनांक तक): 22/02/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 11:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/02/2024 Time (समय): 23:56 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 047 Date & Time (दिनांक एवं समय): 22/02/2024 23:56:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): उत्तर - पश्चिम, 21.61 किमी Beat No. (बीट सं.): साकदडा

(b) Address(पता): sakdara

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): nanuram

(b) Father's Name (पिता का नाम): deva

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1996

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	bordi, देवगढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	bordi, देवगढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9509081182

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में,

श्रीमान थानाधिकारी साहब
पुलिस थाना गुडाएन्दला
जिला पाली राज.

विषय- पन्ना मिश्री ग्रेनाईट साकदडा तहसील व जिला पाली माईन्स पर हुये हादसे में कानूनी कार्यवाही करवाने वावत।
जिसके ML NO 33/2013 है उक्त घटना दिनांक 21.02.2024 समय प्रात 10 बजे की है।
महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नानुराम पिता देवा मीणा उम्र 28 वर्ष निवासी बोरदी पुलिस थाना देवगढ जिला प्रतापगढ राज. मैं प्रार्थी पन्ना मिश्री ग्रेनाईट माईन्स साकदडा जिला पाली में पिछले छ माह से पारशोप मशीन से पत्थर काटने का कार्य कर रहा था। मेरे साथ में अन्य मजदूर- 1. मोहन पिता देवा मीणा उम्र 20 वर्ष 2. हेमराज पिता कन्हैयालाल मीणा उम्र 19 वर्ष 3. शांतिलाल पिता देवा मीणा निवासी बोरडी पुलिस थाना देवगढ जिला प्रतापगढ राज. उम्र 21 वर्ष 4. महावीर पिता शम्भुराम मीणा वयस्क उम्र खारसा का फडा(नाड) थाना पारसोला जिला प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष 5. ईश्वर पिता शंकर उम्र 25 वर्ष निवासी खारसा का फडा(नाड) थाना पारसोला जिला प्रतापगढ राज. 6. श्रवण जाट जिला नागौर उम्र 24 वर्ष एवं अन्य मजदूर मेरे साथ काम कर रहे थे। माईन्स पर कार्य के दौरान मजदूरों के उपर की आँर पारसोप मशीन लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण पत्थर का बूल बडा टोला मजदूरों के उपर गिर गया जिस कारण 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई आँर शांतिलाल पिता देवा मीणा गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसकाे जोधपुर जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया एवं अन्य मजदूरों को भी गम्भीर चोटें आई यह घटना माईन्स मालिक की लापरवाही के बिना सुरक्षा इन्तजाम अपने लाभ के लिये मजदूरों को कार्य करने के लिये बाध्य किया गया जिससे यह हादसा हुआ। माईन्स मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावें। प्रार्थी नानुराम मो.नं. 9509081182

दिनांक 22.02.2024 समय 4.00 पीएम बांगड होस्पिटल मोर्चरी रुम पाली

इस समय प्रार्थी नानुराम पुत्र देवा उम्र 28 साल जाति मीणा निवासी बोरदी थाना देवगढ जिला प्रतापगढ ने बमुकाम मार्चरी रुम बांगड होस्पिटल पाली में उपस्थित होकर कायमी प्रकरण दर्ज करने हेतु पेश की, मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 304, 336, 338 भादस का पाया जाता है। मन थानाधिकारी पुलिस थाना गुडाएन्दला जो मौके की कार्यवाही में व्यस्त हुआ। आईन्दा थाना पहुंच प्रकरण दर्ज किया जायेगा। प्रार्थी को पुन रिपोर्ट पढकर सुनाई सुन समझ सही मान अपने हस्ताक्षर किये।

एसडी नानुराम एसडी सुमेरदान नि.पु. पीएम गुडाएन्दला

पुलिस थाना गुडाएन्दला जिला पाली दिनांक 22.02.2024 समय- 11.40पीएम

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री नानुराम पुत्र देवा उम्र 28 साल जाति मीणा निवासी बोरदी थाना देवगढ जिला प्रतापगढ द्वारा बमुकाम बांगड अस्पताल पाली पर पेश की हुई रिपोर्ट लेकर उपस्थित थाना आया। मजमून रिपोर्ट पर प्रकरण जुर्म धारा 304ए, 336, 338 भादस में पंजीबद्ध कर सीसीटीएनएस से एफआईआर क्रमांक जारी होने पर अंकित किया जायेगा। एफआईआर की प्रतियां नियमानुसार जारी की जा रही है। अनुसंधान जाब्ता शुरु किया गया।

एसडी सुमेरदान नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना गुडाएन्दला जिला पाली

सीसीटीएनएस एफआईआर क्रमांक /2024

एसडी सुमेरदान नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना गुडाएन्दला जिला पाली

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

Sumer Dan Charan (निरीक्षक) /

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

● F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Sumer Dan Charan

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):


Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा /बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाब)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)



राजस्थान RAJASTHAN

AB 733025



S No 350/47 13.03.2024

(यह राजीनामा बाबत इकरारनामा दिनांक 13.03.2024 को बमुकाम पाली में 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया)

राजीनामा बाबत इकरारनामा व भरपाई रसीद

1- श्रीमती अंगूरी मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति मीणा आयु- 23 साल निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक मोहनलाल की पत्नी) आधार कार्ड संख्या 2875 4595 7471

2- श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री देवाजी मीणा जाति मीणा आयु- 56 साल निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक मोहनलाल की माता), आधार कार्ड संख्या 2049 0910 6267

3- श्री देवा मीणा पुत्र श्री हरदरा मीणा जाति मीणा आयु- 61 साल निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक मोहनलाल के पिता) आधार कार्ड संख्या 3314 2668 8683

1- श्रीमती अंगूरी मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति मीणा आयु- 23 साल निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक मोहनलाल की पत्नी) आधार कार्ड संख्या 2875 4595 7471

2- श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री देवाजी मीणा जाति मीणा आयु- 56 साल निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक मोहनलाल की माता), आधार कार्ड संख्या 2049 0910 6267

3- श्री देवा मीणा पुत्र श्री हरदरा मीणा जाति मीणा आयु- 61 साल निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक मोहनलाल के पिता) आधार कार्ड संख्या 3314 2668 8683



देवा

— प्रथम पक्षकारान्

लगातार.....

(R.T. देवा मीणा)

(R.T. मीरा बाई)

(R.T. देवा मीणा)

(R.T. अंगूरी मीणा)

Executed Signed Before me

13.03.2024

NOTARY, PALI

पेज नं. 02

-बहक आप-

- 1- भागीदारी फर्म मैसर्स पन्ना मिश्री ग्रेनाईट, पता- निकट ग्राम साकदड़ा तहसील पाली जिला पाली पंजीबद्ध कार्यालय बरसी मौहल्ला, सदर बाजार, पीसागन जिला अजमेर (राज.) जरिये भागीदारान श्री गुलाबसिंह लोढा एचयूएफ, श्री अरविन्द जैन एवं श्री राजेश जैन एचयूएफ जरिये उनके मुख्त्यार आम श्री शान्तिलाल जैन पुत्र स्वर्गीय श्री चम्पालाल जी जाति जैन आयु 72 साल निवासी- 244, बी.के.कॉल नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर (राज0)

आधार कार्ड नंबर 4789 1555 6383

(पंजीकृत मुख्त्यारनामा आम दिनांक 27/10/2017)

- 2- श्री रिछपाल भाकर पुत्र श्री श्रवणराम जी आयु- 29 साल जाति जाट निवासी- वार्ड नंबर 5, मायापुर जिला नागौर (राज.) आधार कार्ड नंबर 8916 7929 8176 हाल ठेकेदार मैसर्स पन्ना मिश्री ग्रेनाईट जरिये ठेकेनामा दिनांक 15/06/2023

----- द्वितीय पक्षकारान्

जो कि साक्ष्य है कि :-

यह कि प्रथम पक्षकारान का पति/पुत्र मोहनलाल मीणा द्वितीय पक्ष संख्या 1 की माईन्स पर द्वितीय पक्ष संख्या 2 ठेकेदार रिछपाल भाकर के नियोजन में रोजाना की तरह 6 श्रमिक कार्यरत थे, जिन्होंने दिनांक 21/02/2024 को ठेकेदार रिछपाल भाकर के निर्देशानुसार एवं नियंत्रण के दौरान माईन्स पर कार्य करना चालू किया, कार्य के दौरान समय लगभग 10.00 बजे प्राकृतिक आपदा के चलते अकस्मात् एक फाड़ा माईन्स के उपर की बैच से नीचे कार्य करते हुये श्रमिको पर अचानक गिर गया। फाड़ा काफी वजनी होने से काफी प्रयास करने के बाद भी माईन्स पर कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों एवं मजदूरों तथा अन्य स्टॉफ सहित अन्य माईन्स वालों ने उस फाड़ा को हटाने के काफी प्रयास किये गये

लगातार.....

देवा

Executed Signed Before me

13.03.2024

NOTARY, PALI

(मीणा)

(R. J. L. अजमेर)

(L. J. देवा मीणा)

पेज नं. 03

परन्तु दुर्भाग्यवश सभी उस फाड़े को हटाने में असफल रहे, जिसके चलते उस फाड़े के नीचे दबने से प्रथम पक्षकारान् का पति/पुत्र श्री मोहनलाल मीणा सहित अन्य 2 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा एक मजदूर चोटग्रस्त हो गया। उक्त सम्पूर्ण घटना प्रथम पक्षकारान् के रिश्तेदार नानूराम के द्वारा प्रथम पक्षकारान् को दी गई। उक्त दुर्घटना के संबंध में संबंधित थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया, जो कि जैरे अनुसंधान है।

यह कि उक्त प्रकरण के पश्चात् प्रथम पक्षकारान् के द्वारा अपने गांव के मौतवीर व्यक्तियों, माईन्स एसोसिएशन के मेम्बर्स एवं स्थानीय जिला प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एवं उनकी सहमति से द्वितीय पक्षकारान से सहानुभूति तौर पर मृतक के परिवार की पारीवारिक स्थिति एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये मृतक के आश्रितों के भरण पोषण, बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक व्यय हेतु राशि तय कर सम्पूर्ण तयशुदा राशि आज रुबरु गवाहान द्वितीय पक्षकारान से नकद प्राप्त कर ली है, जिसको कि प्रथम पक्षकारान इस इकरारनामें के जरिये स्वीकार करते है, जिसकी कि अलग से रसीद लिखाने की कोई आवश्यकता नही है और ना ही होगी। इसके साथ ही प्रथम पक्षकारान् ने मृतक मोहनलाल मीणा की मृत्यु उपरान्त समस्त प्रकार की कानूनी पेचीदगियों एवं कार्यवाहियों से दूर रहते हुये फूल एण्ड फाईनल सैटलमेन्ट के तहत उक्त राशि प्राप्त कर ली है। उक्त प्राप्त की गई राशि के लिये प्रथम पक्षकारान् एवं उसके परिवारजन द्वितीय पक्षकारान् के ताउम्र अहसानमंद रहेंगे।

यह कि प्रथम पक्षकारान् यह भी स्वीकार करते है कि उपरोक्त दुर्घटना के लिये द्वितीय पक्षकारान् अथवा माईन्स का अन्य कोई भी कर्मचारी/मजदूर अथवा अन्य कोई भी प्रबन्धक किसी भी रूप में उत्तरदायी एवं जिम्मेदार नही है तथा यह घटना पूर्णतया प्राकृतिक आपदा है।

दिनांक

(स.स.स.स.स.स.)

(स.स.स.स.स.स.)

(स.स.स.स.स.स.)

लगातार.....

(स.स.स.स.स.स.) (स.स.स.स.स.स.)


Executed and Signed Before me

13.02.2024

NOTARY, PALI

TARU
ADVOCATE
PALI DIST
REGD No. 52014
FRAJ

यह कि प्रथम पक्षकारान् द्वारा मृतक व्यक्ति के लिये किसी भी प्रकार सरकारी सहायता/बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन किये जाने पर द्वितीय पक्षकारान को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज एवं आपत्ति नहीं है और ना ही होगी। मृतक व्यक्ति के लिये सरकारी सहायता/इन्श्योरेन्स क्लेम नहीं मिलने पर द्वितीय पक्षकार की किसी प्रकार से जवाबदारी नहीं होगी।



यह कि उक्त दुर्घटना में प्रथम पक्षकारान के पति/पुत्र के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अब भविष्य में प्रथम पक्षकारान द्वितीय पक्षकारान अन्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी मुद्दा/न्यायालय एवं अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति बाबत अथवा अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे चूंकि द्वितीय पक्षकारान ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों की पालना में उसके तहत देय राशि का नियमानुसार भुगतान प्रथम पक्षकारान को एकमुश्त कर दिया है, जिससे कि प्रथम पक्षकारान सहित मृतक के समस्त परिवारजन एवं आश्रितजन सहमत है।

उपरोक्त घटना के संदर्भ में किसी भी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में माईन्स मालिक/भागीदारान के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने पर प्रथम पक्षकारान उक्त कार्यवाही का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करेंगे।

यह कि उक्त घटना बाबत पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण को प्रथम पक्षकारान अपने स्तर पर द्वितीय पक्षकारान के सहयोग से निस्तारित करवा देंगे। जिसमें उभय पक्षकारान एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करेंगे।

यह कि उपरोक्त संबंध में उभय पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद इत्यादि शेष नहीं है और ना ही इस बाबत प्रथम पक्षकारान भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही पुलिस अथवा न्यायालय में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध ही कर सकेंगे।

द्वारा

(LJL देव) मीणा)

(Raj Mehta)

(Raj Mehta)

Executed Signed Before me
13.03.2024
NOTARY, PALI

उक्त इकरारनामा बाबत राजीनामाभरपाई रसीद आज दिनांक 13.03.2024 को हम पक्षकारान् ने आपसी रजामन्दी से एवं आपसी सहमति से बिना किसी नशे पते के बिना किसी जोर दबाव के लिखवा दिया है तथा पढ, सुनकर व समझकर हम प्रथम पक्षकारान् ने रूबरू गवाहान की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवा दिये है साथ ही द्वितीय पक्ष ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा नोटेरी से अभिलेखित करवा दिया है, जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।



स्थान :- PALI

दिनांक :- 13.03.2024

देवा




श्रीमती अंगूरी मीणा



श्रीमती मीरा बाई
प्रथम पक्षकारान्

देवा मीणा



शान्तिलाल जोशी
Partner/Manager

द्वितीय पक्षकारान्

रिछपाल
रिछपाल भाकर -

Executed Signed Before me
13.03.2024
NOTARY, PALI



गवाहान् :-

1- पंकज बुरड़ पुत्र श्री विकास बुरड़ आयु 26 वर्ष निवासी नृसिंग गली, ब्यावर (राज.), आधार नं. :- 9828 3146 2309



Pankaj

पंकज बुरड़



2- भगवतीलाल आचार्य पुत्र श्री मूलचन्द आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम बड़ा महुआ जिला भीलवाड़ा (राज.), आधार नं. :- 6409 2891 7783



भगवतीलाल आचार्य



3- बालू राम मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम देवगढ, प्रतापगढ, जिला राजसमन्द (राज.), आधार नं. :- 6482 4671 5999

बालू राम मीणा



बालू राम मीणा


Executed Signed Before me
13.03.2024
NOTARY, PALI

देवा

देवा मीणा



श्रीमती अंगूरी



राजस्थान RAJASTHAN

AB 733028

05 MAR 2024

S No 349 | 47.13.03.24

(यह राजीनामा बाबत इकरारनामा दिनांक 13.03.2024 को बमुकाम पाली में 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया)

राजीनामा बाबत इकरारनामा व भरपाई रसीद

- 1- श्रीमती साजू पत्नी स्वर्गीय श्री महावीर मीणा जाति मीणा आयु- 19 साल निवासी- गांव खारसा फला, नाड, लोदिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक महावीर मीणा की पत्नी)
आधार कार्ड संख्या 7360 4828 0378
- 2- श्रीमती कालकी पत्नी श्री शम्भू जाति मीणा आयु- 47 साल निवासी- गांव खारसा फला, नाड, लोदिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक महावीर मीणा की माता)
आधार कार्ड संख्या 3371 2409 7502
- श्री शंभूड़ा पुत्र श्री चोखला मीणा जाति मीणा आयु- 47 साल निवासी- गांव खारसा फला, नाड, लोदिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक महावीर मीणा के पिता)
आधार कार्ड संख्या 8051 4508 2448

सा. 05.03.24
जाति मीणा
तह. लोदिया
जिला प्रतापगढ (राज.)
मृतक महावीर मीणा की पत्नी
ने बाबत निष्पादित इकरारनामा को पब
अपुनः हस्ताक्षर किये है।
05.03.24

— प्रथम पक्षकारान्

लगातार.....

(L.T. साजू)

(L.T. कालकी)

(L.T. शंभूड़ा)

Executed Signed Before me

13.03.2024

NOTARY, PALI

पेज नं. 02

-बहक आप-

- 1- भागीदारी फर्म मैसर्स पन्ना मिश्री ग्रेनाईट, पता- निकट ग्राम साकदडा तहसील पाली जिला पाली पंजीबद्ध कार्यालय बस्सी मौहल्ला, सदर बाजार, पीसागन जिला अजमेर (राज.) जरिये भागीदारान श्री गुलाबसिंह लोढा एचयूएफ, श्री अरविन्द जैन एवं श्री राजेश जैन एचयूएफ जरिये उनके मुख्धार आम श्री शान्तिलाल जैन पुत्र स्वर्गीय श्री चम्पालाल जी जाति जैन आयु 72 साल निवासी- 244, बी.के.कॉल नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर (राज0)

आधार कार्ड नंबर 4789 1555 6383

(पंजीकृत मुख्धारनामा आम दिनांक 27/10/2017)

- 2- श्री रिछपाल भाकर पुत्र श्री श्रवणराम जी आयु- 29 साल जाति जाट निवासी- वार्ड नंबर 5, मायापुर जिला नागौर (राज.) आधार कार्ड नंबर 8916 7929 8176 हाल ठेकेदार मैसर्स पन्ना मिश्री ग्रेनाईट जरिये ठेकेनामा दिनांक 15/06/2023

— द्वितीय पक्षकारान्

जो कि साक्ष्य है कि :-

यह कि प्रथम पक्षकारान का पति/पुत्र महावीर मीणा द्वितीय पक्ष संख्या 1 की माईन्स पर द्वितीय पक्ष संख्या 2 ठेकेदार रिछपाल भाकर के नियोजन में रोजाना की तरह 6 श्रमिक कार्यरत थे, जिन्होंने दिनांक 21/02/2024 को ठेकेदार रिछपाल भाकर के निर्देशानुसार एवं नियंत्रण के दौरान माईन्स पर कार्य करना चालू किया, कार्य के दौरान समय लगभग 10.00 बजे प्राकृतिक आपदा के चलते अकस्मात् एक फाड़ा माईन्स के उपर की बैच से नीचे कार्य करते हुये श्रमिको पर अचानक गिर गया। फाड़ा काफी वजनी होने से काफी प्रयास करने के बाद भी माईन्स पर कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों एवं मजदूरों तथा अन्य स्टॉफ सहित अन्य माईन्स वालों ने उस फाड़ा को हटाने के काफी प्रयास किये गये

लगातार.....

Executed Signed Before me

12.03.2024
NOTARY, PALI

(RTI 4135)

(RTI 4135)

(RTI 21435)

परन्तु दुर्भाग्यवश सभी उस फाड़े को हटाने में असफल रहे, जिसके चलते उस फाड़े के नीचे दबने से प्रथम पक्षकारान् का पति/पुत्र श्री महावीर मीणा सहित अन्य 2 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा एक मजदूर चोटग्रस्त हो गया। उक्त सम्पूर्ण घटना प्रथम पक्षकारान् के रिश्तेदार नानूराम के द्वारा प्रथम पक्षकारान् को दी गई। उक्त दुर्घटना के संबंध में संबंधित थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया, जो कि जैरे उक्तमेधान है।



यह कि उक्त प्रकरण के पश्चात् प्रथम पक्षकारान् के द्वारा अपने मौतवीर व्यक्तियों, माईन्स एसोसिएशन के मेम्बर्स एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एवं उनकी सहमति से द्वितीय पक्षकारान् से सहानुभूति तौर पर मृतक के परिवार की पारीवारिक स्थिति एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये मृतक के आश्रितों के भरण पोषण, बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक व्यय हेतु राशि तय कर सम्पूर्ण तयशुदा राशि आज रूबरू गवाहान द्वितीय पक्षकारान् से नकद प्राप्त कर ली है, जिसको कि प्रथम पक्षकारान् इस इकरारनामें के जरिये स्वीकार करते हैं, जिसकी कि अलग से रसीद लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही होगी। इसके साथ ही प्रथम पक्षकारान् ने मृतक महावीर मीणा की मृत्यु उपरान्त समस्त प्रकार की कानूनी पेचीदगियों एवं कार्यवाहियों से दूर रहते हुये फूल एण्ड फाईनल सैटलमेन्ट के तहत उक्त राशि प्राप्त कर ली है। उक्त प्राप्त की गई राशि के लिये प्रथम पक्षकारान् एवं उसके परिवारजन द्वितीय पक्षकारान् के ताउम्र अहसानमंद रहेंगे।

यह कि प्रथम पक्षकारान् यह भी स्वीकार करते हैं कि उषरोक्त दुर्घटना के लिये द्वितीय पक्षकारान् अथवा माईन्स का अन्य कोई भी कर्मचारी/मजदूर अथवा अन्य कोई भी प्रबन्धक किसी भी रूप में उत्तरदायी एवं जिम्मेदार नहीं है तथा यह घटना पूर्णतया प्राकृतिक आपदा है।

(RJI साजु)

(RJI फालक)

लगातार.....
(LJI 21/3.5)

Executed Signed Before me

13.02.2024
NOTARY, PALI

पेज नं. 04

यह कि प्रथम पक्षकारान् द्वारा मृतक व्यक्ति के लिये किसी भी प्रकार सरकारी सहायता/बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन किये जाने पर द्वितीय पक्षकारान को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज एवं आपत्ति नहीं है और ना ही होगी। मृतक व्यक्ति के लिये सरकारी सहायता/इन्श्योरेंस क्लेम नहीं मिलने पर द्वितीय पक्षकार की किसी प्रकार से जवाबदारी नहीं होगी।

यह कि उक्त दुर्घटना में प्रथम पक्षकारान के पति/पुत्र के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अब भविष्य में प्रथम पक्षकारान द्वितीय पक्षकारान या अन्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस/न्यायालय एवं अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति बाबत अथवा अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे चूंकि द्वितीय पक्षकारान ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों की पालना में उसके तहत देय राशि का नियमानुसार भुगतान प्रथम पक्षकारान को एकमुश्त कर दिया है, जिससे कि प्रथम पक्षकारान सहित मृतक के समस्त परिवारजन एवं आश्रितजन सहमत है।

उपरोक्त घटना के संदर्भ में किसी भी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में माईन्स मालिक/भागीदारान के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने पर प्रथम पक्षकारान उक्त कार्यवाही का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करेंगे।

यह कि उक्त घटना बाबत पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण को प्रथम पक्षकारान अपने स्तर पर द्वितीय पक्षकारान के सहयोग से निस्तारित करवा देंगे। जिसमें उभय पक्षकारान एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करेंगे।

यह कि उपरोक्त संबंध में उभय पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद इत्यादि शेष नहीं है और ना ही इस बाबत प्रथम पक्षकारान भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही पुलिस अथवा न्यायालय में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध ही कर सकेंगे।



(R.J. सापु)


(R.J. सापु)


(LT) शंभुजी
लगातार.....

Executed Signed Before me


12.03.2024
NOTARY, PALI



AB 733026

S.No 348/47 | 13.03.2024
Date

(यह राजीनामा बाबत इकरारनामा दिनांक 13.03.2024 को बमुकाम पाली में 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया)

राजीनामा बाबत इकरारनामा व भरपाई रसीद

असु...
जति: मीणा
तह: राजस्थान
पुत्र श्री: ...
प्रापता ...
विलोपित ...
से जानता है कि ...
सुन समझ कर अपने अगुह/हस्ताक्षर किये
इस प्रकार पढ़ाई/कार्य

श्रीमती कविता मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री हेमराज मीणा जाति मीणा आयु- 19 साल निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.) (मृतक हेमराज मीणा की पत्नी)

आधार कार्ड संख्या 8329 7613 9068

श्री कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री हरदारा मीणा जाति मीणा आयु- 57 साल निवासी-गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.)


(मृतक हेमराज मीणा के पिता) आधार कार्ड संख्या 5311 8186 8195

--- प्रथम पक्षकारान्
लगातार.....



कविता

कन्हैया



(RJD कविता)

(LTD कन्हैया लाल मीणा)

Executed Signed Before me
13.03.2024
NOTARY PAAI

पेज नं. 02

-बहक आप-



1- भागीदारी फर्म मैसर्स पन्ना मिश्री ग्रेनाईट, पता- निकट ग्राम साकदड़ा तहसील पाली जिला पाली पंजीबद्ध कार्यालय बस्सी मौहल्ला, सदर बाजार, पीसागन जिला अजमेर (राज.) जरिये भागीदारान श्री गुलाबसिंह लोढा एचयूएफ, श्री अरविन्द जैन एवं श्री राजेश जैन एचयूएफ जरिये उनके मुख्त्यार आम श्री शान्तिलाल जैन पुत्र स्वर्गीय श्री चम्पालाल जी जाति जैन आयु 72 साल निवासी- 244, बी.के.कॉल नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर (राज0)

आधार कार्ड नंबर 4789 1555 6383

(पंजीकृत मुख्त्यारनामा आम दिनांक 27/10/2017)

2- श्री रिछपाल भाकर पुत्र श्री श्रवणराम जी आयु- 29 साल जाति जाट निवासी- वार्ड नंबर 5, मायापुर जिला नागौर (राज.) आधार कार्ड नंबर 8916 7929 8176 हाल ठेकेदार मैसर्स पन्ना मिश्री ग्रेनाईट जरिये ठेकेनामा दिनांक 15/06/2023

----- द्वितीय पक्षकारान्

जो कि साक्ष्य है कि :-

यह कि प्रथम पक्षकारान का पति/पुत्र हेमराज मीणा द्वितीय पक्ष संख्या 1 की माईन्स पर द्वितीय पक्ष संख्या 2 ठेकेदार रिछपाल भाकर के नियोजन में रोजाना की तरह 6 श्रमिक कार्यरत थे, जिन्होंने दिनांक 21/02/2024 को ठेकेदार रिछपाल भाकर के निर्देशानुसार एवं नियंत्रण के दौरान माईन्स पर कार्य करना चालू किया, कार्य के दौरान समय लगभग 10.00 बजे प्राकृतिक आपदा के चलते अकस्मात् एक फाड़ा माईन्स के उपर की बेंच से नीचे कार्य करते हुये श्रमिको पर अचानक गिर गया। फाड़ा काफी वजनी होने से काफी प्रयास करने के बाद भी माईन्स पर कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों एवं मजदूरों तथा अन्य स्टॉफ सहित अन्य माईन्स वालों ने उस फाड़ा को हटाने के काफी प्रयास किये गये

लगातार.....

कविता
(R.T.J. कविता)

कनका
(L.T.J. कनका लाल शर्मा)

Executed Signed Before me
12.02.2024
NOTARY P.A.

परन्तु दुर्भाग्यवश सभी उस फाड़े को हटाने में असफल रहे, जिसके चलते उस फाड़े के नीचे दबने से प्रथम पक्षकारान् का पति/पुत्र श्री हेमराज मीणा सहित अन्य 2 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा एक मजदूर चोटग्रस्त हो गया। उक्त सम्पूर्ण घटना प्रथम पक्षकारान् के रिश्तेदार नानूराम के द्वारा प्रथम पक्षकारान् को दी गई। उक्त दुर्घटना के संबंध में संबंधित थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया, जो कि जैरे अनुसंधान है।



यह कि उक्त प्रकरण के पश्चात् प्रथम पक्षकारान् के द्वारा अपने परिवार के मौतवीर व्यक्तियों, माईन्स एसोसिएशन के मेम्बर्स एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एवं उनकी सहमति से द्वितीय पक्षकारान् से सहानुभूति तौर पर मृतक के परिवार की पारीवारिक स्थिति एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये मृतक के आश्रितों के भरण पोषण, बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक व्यय हेतु राशि तय कर सम्पूर्ण तयशुदा राशि आज रूबरू गवाहान द्वितीय पक्षकारान् से नकद प्राप्त कर ली है, जिसको कि प्रथम पक्षकारान् इस इकरारनामें के जरिये स्वीकार करते है, जिसकी कि अलग से रसीद लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही होगी। इसके साथ ही प्रथम पक्षकारान् ने मृतक हेमराज मीणा की मृत्यु उपरान्त समस्त प्रकार की कानूनी पेचीदगियों एवं कार्यवाहियों से दूर रहते हुये फूल एण्ड फाईनल सैटलमेन्ट के तहत उक्त राशि प्राप्त कर ली है। उक्त प्राप्त की गई राशि के लिये प्रथम पक्षकारान् एवं उसके परिवारजन द्वितीय पक्षकारान् के ताउम्र अहसानमंद रहेंगे।

यह कि प्रथम पक्षकारान् यह भी स्वीकार करते है कि उपरोक्त दुर्घटना के लिये द्वितीय पक्षकारान् अथवा माईन्स का अन्य कोई भी कर्मचारी/मजदूर अथवा अन्य कोई भी प्रबन्धक किसी भी रूप में उत्तरदायी एवं जिम्मेदार नहीं है तथा यह घटना पूर्णतया प्राकृतिक आपदा है।

कविता

(Raj Kavitaa)

कनका

(Raj Kanaka)

लगातार.....

Executed Signed Before me

12.02.2024
NOTARY PUBLIC

यह कि प्रथम पक्षकारान् द्वारा मृतक व्यक्ति के लिये किसी भी प्रकार सरकारी सहायता/बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन किये जाने पर द्वितीय पक्षकारान को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज एवं आपत्ति नहीं है और ना ही होगी। मृतक व्यक्ति के लिये सरकारी सहायता/इन्श्योरेन्स क्लेम नहीं मिलने पर द्वितीय पक्षकार की किसी प्रकार से जवाबदारी नहीं होगी।




यह कि उक्त दुर्घटना में प्रथम पक्षकारान के पति/पुत्र के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अब भविष्य में प्रथम पक्षकारान् द्वितीय पक्षकारान् या अन्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस/न्यायालय एवं अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति बाबत अथवा अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे चूंकि द्वितीय पक्षकारान ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों की पालना में उसके तहत देय राशि का नियमानुसार भुगतान प्रथम पक्षकारान को एकमुश्त कर दिया है, जिससे कि प्रथम पक्षकारान सहित मृतक के समस्त परिवारजन एवं आश्रितजन सहमत है।

उपरोक्त घटना के संदर्भ में किसी भी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में माईन्स मालिक/भागीदारान के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने पर प्रथम पक्षकारान उक्त कार्यवाही का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करेंगे।

यह कि उक्त घटना बाबत पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण को प्रथम पक्षकारान अपने स्तर पर द्वितीय पक्षकारान के सहयोग से निस्तारित करवा देंगे। जिसमें उभय पक्षकारान एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करेंगे।

यह कि उपरोक्त संबंध में उभय पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद इत्यादि शेष नहीं है और ना ही इस बाबत प्रथम पक्षकारान भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही पुलिस अथवा न्यायालय में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध ही कर सकेंगे।

कविता



(Raj Kavi)

कानन्या



(LTI कानन्या (ल मीम))

लगातार.....

Executed Signed Before me
(Signature)
12.03.2024
NOTARY PALI

पेज नं. 05

उक्त इकरारनामा बाबत राजीनामा भरपाई रसीद आज दिनांक 13.03.2024

को हम पक्षकारान् ने आपसी रजामन्दी से एवं आपसी सहमति से बिना किसी नशे पते के बिना किसी जोर दबाव के लिखवा दिया है तथा पद,

समझकर व समझकर हम प्रथम पक्षकारान् ने रूबरू गवाहान की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवा दिये है साथ ही द्वितीय पक्ष ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा नोटेरी से अभिमाणित करवा दिया है, जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

स्थान :- PALI

दिनांक :- 13.03.2024



क न र्ण

कविता

(LTS)
श्रीमती कविता मीणा

प्रथम पक्षकारान्



(LTS)
कन्हैया लाल मीणा

For Panna Nisri Granite
Shanti Lal Jani
शान्तिलाल जैन/Manager

द्वितीय पक्षकारान्

रिष्पाल

रिष्पाल भाकर (LTS)

Executed Signed Before
(LTS)
13.03.2024
NOTARY PALI

गवाहान् :-

1- पंकज बुरड़ पुत्र श्री विकास बुरड़ आयु 26 वर्ष निवासी नृसिंग गली, ब्यावर (राज.), आधार नं. :- 9828 3146 2309

Pankaj

(LTS पंकज बुरड़)

2- भगवतीलाल आचार्य पुत्र श्री मूलचन्द आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम बड़ा महुआ जिला भीलवाड़ा (राज.), आधार नं. :- 6409 2891 7783

(LTS भगवतीलाल आचार्य)

बालू राम मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम देवगढ, प्रतापगढ, जिला राजसमन्द (राज.), आधार नं. :- 6482 4671 5999

बालू राम मीणा

कविता

(LTS कविता)

क न र्ण

(LTS कन्हैया लाल मीणा)

Executed Signed Before
(LTS बालू राम मीणा)
13.03.2024
NOTARY PALI



4- श्री देवाजी मीणा पुत्र श्री हरदरा मीणा जाति मीणा आयु- 61 साल
निवासी- गांव बोरदी, चिकलाड जिला प्रतापगढ (राज.)
आधार कार्ड संख्या 3314 2668 8683

----- प्रथम पक्षकारान्

-बहक आप-



1- भागीदारी फर्म मैसर्स पन्ना मिश्री ग्रेनाईट, पता- निकट ग्राम
साकदड़ा तहसील पाली जिला पाली पंजीबद्ध कार्यालय बस्सी
मोहल्ला, सदर बाजार, पीसागन जिला अजमेर (राज.) जरिये
भागीदारान श्री गुलाबसिंह लोढा एचयूएफ, श्री अरविन्द जैन एवं श्री
जेश जैन एचयूएफ जरिये उनके मुख्यार आम श्री शान्तिलाल
जैन पुत्र स्वर्गीय श्री चम्पालाल जी जाति जैन आयु 72 साल
निवासी- 244, बी.के.कॉल नगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर
(राज0)

आधार कार्ड नंबर 4789 1555 6383

(पंजीकृत मुख्यारनामा आम दिनांक 27/10/2017)

2- श्री रिछपाल भाकर पुत्र श्री श्रवणराम जी आयु- 29 साल जाति
जाट निवासी- वार्ड नंबर 5, मायापुर जिला नागौर (राज.) आधार
कार्ड नंबर 8916 7929 8176 हाल ठेकेदार मैसर्स पन्ना मिश्री
ग्रेनाईट जरिये ठेकेनामा दिनांक 15/06/2023

----- द्वितीय पक्षकारान्

जो कि साक्ष्य है कि :-

यह कि प्रथम पक्षकारान का पति/पुत्र शान्तिलाल मीणा द्वितीय पक्ष
संख्या 1 की माईन्स पर द्वितीय पक्ष संख्या 2 ठेकेदार रिछपाल भाकर के
नियोजन में रोजाना की तरह 6 श्रमिक कार्यरत थे, जिन्होंने दिनांक
21/02/2024 को ठेकेदार रिछपाल भाकर के निर्देशानुसार एवं नियंत्रण
के दौरान माईन्स पर कार्य करना चालू किया, कार्य के दौरान समय
लगभग 10.00 बजे प्राकृतिक आपदा के चलते अकस्मात् एक फाड़ा
माईन्स के उपर की बेंच से नीचे कार्य करते हुये श्रमिको पर अचानक गिर
गया। फाड़ा काफी वजनी होने से काफी प्रयास करने के बाद भी माईन्स

लगातार.....

क 241

देवा

शान्तिलाल

Executed Signed Before me

13.07.2024
NOTARY PA.

(राजस्थान)

राज देवाजी

(राजस्थान)

पेज नं. 03

पर कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों एवं मजदूरों तथा अन्य स्टॉफ सहित अन्य माईन्स वालों ने उस फाड़ा को हटाने के काफी प्रयास किये गये परन्तु दुर्भाग्यवश सभी उस फाड़े को हटाने में असफल रहे, जिसके चलते उस फाड़े के नीचे दबने से प्रथम पक्षकारान् का पति/पुत्र श्री शान्तिलाल मीणा चोटिल हो गये तथा तीन मजदूरों की मृत्यु हो गयी। उक्त सम्पूर्ण घटना प्रथम पक्षकारान् के रिश्तेदार नानूराम के द्वारा प्रथम पक्षकारान् को दी गई। उक्त दुर्घटना के संबंध में संबंधित थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया, जो कि जैरे अनुसंधान है।

यह कि उक्त प्रकरण के पश्चात् प्रथम पक्षकारान् के द्वारा अपने गाँव के मौतवीर व्यक्तियों, माईन्स एसोसिएशन के मेम्बर्स एवं स्थानीय जिला प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एवं उनकी सहमति से द्वितीय पक्षकारान् से सहानुभूति तौर पर चोटिल व्यक्ति के परिवार की पारीवारिक स्थिति एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये चोटिल व्यक्ति के ईलाज, आश्रितों के भरण पोषण, बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक व्यय हेतु राशि तय कर सम्पूर्ण तयशुदा राशि आज रूबरू गवाहान द्वितीय पक्षकारान् से नकद प्राप्त कर ली है, जिसको कि प्रथम पक्षकारान् इस इकरारनामों के जरिये स्वीकार करते हैं, जिसकी कि अलग से रसीद लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही होगी। इसके साथ ही प्रथम पक्षकारान् ने चोटिल शान्तिलाल मीणा द्वारा समस्त प्रकार की कानूनी पेचीदगियों एवं कार्यवाहियों से दूर रहते हुये फूल एण्ड फाईनल सैटलमेन्ट के तहत उक्त राशि प्राप्त कर ली है। उक्त प्राप्त की गई राशि के लिये प्रथम पक्षकारान् एवं उसके परिवारजन द्वितीय पक्षकारान् के ताउम्र अहसानमंद रहेंगे।

यह कि प्रथम पक्षकारान् यह भी स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त दुर्घटना के लिये द्वितीय पक्षकारान् अथवा माईन्स का अन्य कोई भी कर्मचारी/मजदूर अथवा अन्य कोई भी प्रबन्धक किसी भी रूप में उत्तरदायी एवं जिम्मेदार नहीं है तथा यह घटना पूर्णतया प्राकृतिक आपदा है।

क००५१

देवा

शान्तिलाल

लगाल

Executed Signed Before me

17.03.2024

NOTARY PALI

(Raj) क००५१५६

L.J. देवा

(Raj) शान्तिलाल

(Raj) मीणा

पेज नं. 04

यह कि प्रथम पक्षकारान् द्वारा चोटिल व्यक्ति के लिये किसी भी प्रकार सरकारी सहायता/बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन किये जाने पर द्वितीय पक्षकारान् को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज एवं आपत्ति नहीं है और ना ही होगी। चोटिल व्यक्ति के लिये सरकारी सहायता/इन्श्योरेन्स क्लेम नहीं मिलने पर द्वितीय पक्षकार की किसी प्रकार से जवाबदारी नहीं होगी।

यह कि उक्त दुर्घटना में प्रथम पक्षकारान् के पति/पुत्र के साथ हुई दुर्घटना के फलस्वरूप अब भविष्य में प्रथम पक्षकारान् द्वितीय पक्षकारान् व/या अन्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी मुद्दा/सुनियस/न्यायालय एवं अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति बाबत् अथवा अन्य कार्यवाही नहीं करेंगे चूंकि द्वितीय पक्षकारान् ने कर्मचारी प्रतिकर के प्रावधानों की पालना में उसके तहत देय राशि का भुगतान प्रथम पक्षकारान् को एकमुश्त कर दिया है, जिससे कि प्रथम पक्षकारान् सहित चोटिल व्यक्ति के समस्त परिवारजन एवं आश्रितजन सहमत है।

उपरोक्त घटना के संदर्भ में किसी भी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में माईन्स मालिक/भागीदारान् के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने पर प्रथम पक्षकारान् उक्त कार्यवाही का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करेंगे।

यह कि उक्त घटना बाबत् पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण को प्रथम पक्षकारान् अपने स्तर पर द्वितीय पक्षकारान् के सहयोग से निस्तारित करवा देंगे। जिसमें उभय पक्षकारान् एक-दूसरे को पूर्ण सहयोग करेंगे।

यह कि उपरोक्त संबंध में उभय पक्षकारान् के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद इत्यादि शेष नहीं है और ना ही इस बाबत् प्रथम पक्षकारान् भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही पुलिस अथवा न्यायालय में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध ही कर सकेंगे।

यह कि चोटिल व्यक्ति की भविष्य में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए प्रथम पक्षकारान् स्वयं जवाबदार होंगे, जिसमें प्रथम पक्षकारान् द्वारा किसी प्रकार की क्लेम इत्यादि राशि की मांग द्वितीय पक्षकारान् से नहीं की जायेगी, जिस हेतु प्रथम पक्षकारान् व्यक्तिगत रूप से पाबंद रहेंगे।

क. 24

देवा सुनील लाल नुगातार.....

Executed Signa Before me

13.03.2024
NOTARY PALI

(R. J. M. 21012)

(R. J. M. 21012)

(R. J. M. 21012)

(R. J. M. 21012)

उक्त इकरारनामा बाबत राजीनामा भरपाई रसीद आज दिनांक 13.03.2024



को हम पक्षकारान् ने आपसी रजामन्दी से एवं आपसी सहमति से बिना किसी नशे पते के बिना किसी जोर दबाव के लिखवा दिया है तथा पढ, सुनकर व समझकर हम प्रथम पक्षकारान् ने रुबरु गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये है तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवा दिये है साथ ही द्वितीय पक्ष ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा नोटेरी से अभिप्रमाणित करवा दिया है, जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

स्थान :- पाली

दिनांक :- 13.03.2024

शान्तिलाल कश्यप



शान्तिलाल मीणा

कल्या बाई मीणा

मीरा बाई मीणा

देवाजी मीणा

प्रथम पक्षकारान्



For Panna Granite
Shantilal Jain

शान्तिलाल जैन partner/Manager

द्वितीय पक्षकारान्

रिखपाल भाकर



Executed Signed Before me
13.03.2024
NOTARY, PALI

गवाहान :-



1- पंकज बुरड़ पुत्र श्री विकास बुरड़ आयु 26 वर्ष निवासी नृसिंग गली,

देवीवर (राज.), आधार नं. :- 9828 3146 2309



Pankaj



2- भगवतीलाल आचार्य पुत्र श्री मूलचन्द आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम बड़ा

महुआ जिला भीलवाड़ा (राज.), आधार नं. :- 6409 2891 7783

गवावली




3- बालू राम मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम देवगढ,

प्रतापगढ, जिला राजसमन्द (राज.), आधार नं. :- 6482 4671 5999

कालूराम मीणा



शान्तिलाल कश्यप



(RTI 21/03/24)

(RTI 21/03/24)

(RTI 21/03/24)

Executed Signed Before me
13.03.2024
NOTARY, PALI

